

हरिजनसेवक

दो आना

(स्थापक : महात्मा गांधी)

भाग १५

सम्पादक : किशोरलाल मशरुवाला

सह-सम्पादक : मगनभाभी देसायी

अंक २७

मुद्रक और प्रकाशक

जीवणजी बाबाभाभी देसायी

नवजीवन मुद्रणालय, अहमदाबाद-९

अहमदाबाद, शनिवार, ता० १ सितम्बर, १९५१

वार्षिक मूल्य देशमें रु० १
विदेशमें रु० ८; शि० १५

रिश्वतखोरी

अभी कुछ दिन हुए, श्री राजगोपालाचार्यके अंक भाषणकी रिपोर्ट मेरे देखनेमें आयी। भाषणको पढ़कर ऐसा मालूम होता है मानो राजाजी सरकारी नौकरोंकी रिश्वतखोरीका बचाव करते हैं। वे लगभग ऐसा कहते देखते हैं कि सरकारी नौकरोंको उनकी जिस कमजोरीके लिये दोष देनेके बजाय हमें उन पर दया करनी चाहिये। उनकी दृष्टिमें सारा दोष उस चरित्रहीन जनताका है, जो कि उनके सामने अपने स्वार्थ साधनेके लिये प्रलोभन रखती है। सरकारी नौकर दूसरे दुबल मनुष्योंकी तरह अिन प्रलोभनोंका शिकार भर हो जाते हैं; आखिर उन्हें भी जीवनके लिये संघर्ष करना पड़ता है और जिस मुश्किल दुनियामें अपना पेट भरना पड़ता है।

निचली श्रेणीके अिन सरकारी नौकरोंकी आर्थिक कठिनाइयोंके लिये, जिन्हें पर्याप्त वेतन नहीं मिलता, हरअेक आदमी हमदर्दी महसूस करेगा। लेकिन कोजी सरकारी नौकर लांच-रिश्वत ले, जिसका बचाव कोजी कभी नहीं कर सकता; सरकार तो हरगिज नहीं कर सकती। उन्हें पर्याप्त वेतन मिलता है या नहीं, यह देखनेका काम सरकारका है। और अगर वह जिस बातकी जांच आंच खोलकर करे, तो उसे पता लगेगा कि कजी महकमोंमें उसके बिलकुल अपरी और निचली श्रेणीके नौकरोंके वेतनोंमें १:७५ से लगाकर ९० तकका अनुपात है। जाहिर है कि यह अंतर बहुत ज्यादा है और जिसे बहुत कम कर देना चाहिये। जिस विषयताको जारी रखनेमें कोजी औचित्य नहीं है। दूसरे, अगर हम सब बातोंका खयाल करें, तो सरकारका कभसे कम वेतन पानेवाला नौकर भी उसी श्रेणीके गैरसरकारी काम करनेवाले आदमीके बनिस्वत ज्यादा पैसा पाता है। जिस श्रेणीके अधिकांश आदमी किसानों, घरू नौकरों और छोटे-छोटे मुंशियोंके वर्गसे आते हैं। वे सरकारी नौकरी पसन्द करते हैं, क्योंकि उन्हें ज्यादा पैसा मिलता है, नौकरी ज्यादा सुरक्षित होती है और समाजमें कुछ सम्मान भी मिल जाता है। सरकारें उन्हें ज्यादा पैसा देती हैं, उसके कारण यह बताया जाता है कि जिससे उसे योग्यतम आदमी मिलते हैं। यह अलग बात है कि सरकारका यह अहंकार हमेशा पूरा नहीं होता, क्योंकि नियुक्तियां जिनके हाथमें होती हैं वे पक्षपात करते हैं और भ्रष्टाचारको प्रश्रय देते हैं। लेकिन जिसका तो यह मतलब हुआ कि सरकारी नौकरीमें अयोग्यताको भी, गैरसरकारी नौकरियोंमें योग्यताकी अपेक्षा, ज्यादा अच्छी कीमत मिलती है। जिसलिये जिससे तो यह सिद्ध होला है कि सरकारी नौकरियोंमें लांच-रिश्वतका कोजी औचित्य नहीं हो सकता।

जिसके सिवाय, सरकारी नौकरोंको भला जनता क्यों भ्रष्ट करगी? रिश्वत ब्राह्मणको दी गयी दक्षिणा, या भिखारीको दी गयी भीखकी तरह परलोकमें पुण्य कमानेके लिये नहीं दी जाती। और अिन लोगोंके भ्रष्टाचारका क्या कारण है, जिन्हें ३०० रुपयोंसे लेकर ढाभी हजार रुपया प्रतिमाह मिलता है तथा अपूरसे डटकर भत्ता मिलता है सो अलग?

जनताके जो लोग सरकारी अधिकारियोंको जिसलिये रिश्वत देते हैं कि वे अिन पर कुछ अनुचित मेहरबानी करें, उनका हमें बचाव नहीं करना है। यह सच है कि बेअमीमान लोगोंका अेक ऐसा वर्ग है, जो अितने बड़े-बड़े प्रलोभन पेश करते हैं कि कभी-कभी किसी माननीय मंत्रीको भी उनका तिरस्कार करना कठिन हो जाता है! लेकिन जिसे रिश्वत लेनेवाला अपने बचावमें पेश नहीं कर सकता।

वर्षा, १३-८-५१
(अंग्रेजीसे)

कि० घ० मशरुवाला

शिवरामपल्लीमें विनोबा

१२

(१०) ता० ११/१२-४-५१: समाजवादी मित्रोंके साथ: समाजवादी मित्र शिवरामपल्लीमें विनोबासे दो बार मिले। परिचय आदिके बाद कुछ वार्तालाप भी हुआ। पहला सवाल अन्होंने भारत सरकारकी वर्तमान युद्ध-नीतिके बारेमें पूछा। भारत सरकार अगर गांधीजीकी रहनुमाजीमें चलनेका दावा करती है, तो फिर वह सेना कैसे रख सकती है, उसे क्यों नहीं डिसबैंड कर (तोड़) देती? जिस आशयके अिनके सवालका जवाब देते हुए विनोबांने कहा:

“आप लोग जानते हैं न कि गांधीजीके रहते ही भारतीय फौजें कश्मीर फ्रंट (सीमा) पर बचावके लिये गयी थीं? और गांधीजीने विरोध नहीं किया था? आखिर हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि भारतीय सरकार भारतीय जनताकी प्रतिनिधि है और वह आम जनताकी शक्तिके अनुसार ही काम कर सकती है। मैंने यह कभी बार कभी अुदाहरण देकर समझाया भी है। जनताको आगे ले जानेका काम तो सुधारकोंको करना पड़ता है। और सुधारकके नाते हम तो यही कहेंगे कि हृदय शुद्ध और प्रेममय रखो, डर छोड़ो, और सारी फौज डिसबैंड कर (तोड़) देनेकी परिस्थिति पैदा करो।”

परिस्थिति पैदा करना यानी लोक-मानसको सुशिक्षित करना। जिसमें से आगामी चुनावोंकी चर्चा निकली। तब अिन मित्रोंने पूछा:

प्र०: वोटिंगके लिये आप क्या कसौटी रखेंगे? क्या किसी पक्ष-विशेषको मत देना पसंद करेंगे?

विनोबा : जिस बारेमें भी हमने कहा है। हर अम्मीदवारको पहिले ठीक पहचानो। मनुष्य अच्छा है, तुम्हारे मेनिफेस्टोको मानता है, तो उसे वोट दे सकते हैं, बशर्ते कि उसके अिर्दगिर्दके लोगोंका भी उस पर विश्वास हो। जो लोग उसे जानते हैं, वे अगर उस पर विश्वास नहीं करते, तो उसे वोट नहीं देना चाहिये। फिर चाहे वह किसी पक्ष-विशेषका हो या किसी विशिष्ट तत्त्वप्रणालीके प्रति अपनी वफादारी ही क्यों न बताता हो। अब जिसके आगे अंधमतदान हरगिज नहीं चलनेवाला है और न चलना ही चाहिये। बात असल यह है कि कांग्रेसवाले जनताको अपने कार्यक्रमके संबंधमें आवश्यक तालीम देना नहीं चाहते; अपनी तत्त्वप्रणाली लोगोंको समझानेकी तकलीफ अठाना नहीं चाहते। पार्टीके अजित पुण्य पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। यह ठीक नहीं है।

फिर ग्रामसेवाके संबंधमें कुछ चर्चा हुआ। वर्षसे हैदराबाद तककी अपनी पैदल यात्रामें विनोबाने अनेक गांवोंका निरीक्षण किया था। हैदराबादके गांवोंकी दृष्टिसे सेवाका कोअी विशेष कार्यक्रम विनोबा सुझा सकेंगे, जिस आशयसे मित्रोंने पूछा :

प्रश्न : यहांके गांवोंमें काम करनेके लिये आप अुत्तम कार्यक्रम क्या समझते हैं ?

विनोबा : कल ही मैंने चर्चके सिलसिलेमें बताया कि कर्नाटक और महाराष्ट्रमें जैसी लोक-जागृति दिखायी देती है, वैसी यहां तेलंगानामें नहीं दिखायी देती। यहांके गांवोंको देखने पर मेरे ध्यानमें आ गया कि जिसका कारण यह सिंदी ही है। सिंदीकी बुराबियोंसे मैं पहले अपरिचित था असा नहीं। परंतु यहां यह बुराअी अितनी गहरी जा पहुंची होगी, जिसका मुझे अितना अंदाज नहीं था। जिसलिये मेरे खयालमें यहांका सबसे अहम मसला यही है। कार्य-कर्ताओंको जिस काममें जुट जाना चाहिये। सब पार्टियोंके लिये यह एक कॉमन (समान) प्रोग्राम है। पर आजकल कार्यकर्ताओंको यह प्रोग्राम नहीं जंचता, क्योंकि वह रिबोल्यूशन (क्रांति)का नहीं, रिफॉर्म (सुधार) का समझा जाता है। अुन्हें तो असा प्रोग्राम चाहिये, जिससे असंतोष पैदा हो सके।

प्रश्न : लेकिन हमारे यहां जमींदारीका मसला सिंदीके मसलेसे ज्यादा अहम है। जमींदारीके कारण ही यह कम्युनिज्म फैला है।

विनोबा : कम्युनिज्म तो जिसलिये फैल सका है कि दूसरे लोगोंने कोअी काम ही नहीं किया है और कम्युनिस्टोंने किया है।

प्रश्न : लेकिन कम्युनिस्टोंने रचनात्मक काम क्या किया है ?

विनोबा : रचनात्मक काम अुनकी विचारप्रणालीमें ही नहीं है। वे तो जनताके असंतोषसे लाभ अठाना चाहते हैं। और असंतोष भी थोड़ी मात्रामें हो, तो अुन्हें पसंद नहीं—जिसलिये असंतोषको वे बढ़ाना भी चाहेंगे। लोगोंको राहत मिले, असा कोअी काम वे नहीं चाहते।

फिर मूल प्रश्न 'कार्यक्रम' के बारेमें कहा :

"यात्राके दरमियान हमने गांव-गांवमें पूछा कि यहां कोअी अुद्योग चलते हैं क्या ? तो जवाब यही मिला कि खेतीके सिवा और कोअी अुद्योग नहीं है। जिसलिये आपको तीन प्रकारका काम अेकदम शुरू करना चाहिये : सिंदीबंदी, ग्रामोद्योग और कष्ट-निवारण—यानी लोगोंकी दैनंदिन तकलीफोंको हल करनेकी कोशिश।"

*

*

*

शिवरात्रिपत्तलीके सर्वोदय संमेलनके बारेमें भी अिन मित्रोंको कुछ असंतोष था। अुन्होंने कहा : "आपके संमेलनमें तो कांग्रेसवाले ही ज्यादा नजर आते हैं ?" तब विनोबाने कहा : "कांग्रेसवालोंको हमने बुलाया तो है नहीं। आप चाहें तो आप भी आ सकते हैं। यहां जो आते हैं, वे सर्वोदय समाजके सबक होते हैं। न तो वे कांग्रेसवाले होते हैं, न सोशलिस्ट।"

प्रश्न : लेकिन और लोगोंका सहयोग ये लोग क्यों नहीं लेते ?

विनोबा : आपको जिस संबंधमें गांधीजीसे सबक लेना चाहिये। रचनात्मक काम करनेवाले जब जेल जाना चाहते थे, तो अुन्हें अपने रचनात्मक कामसे अिस्तीफा देना पड़ता था। आज भी अुन्हें जब राजनीतिमें अुतरनेकी आवश्यकता महसूस होती है, तो रचनात्मक कार्यसे अलग होना पड़ता है। हेतु यही है कि न सिर्फ हमें, बल्कि सामनेवालेको भी हमारे अिरादोंके बारेमें कोअी शंका नहीं रहनी चाहिये। उसे यकीन होना चाहिये कि अिनका काम शुद्ध है, साफ है, उसमें मिश्रण नहीं है। आज बहुतसे लोग अपने सार्वजनिक कामको अेक्सप्लॉइट (बहाना) करना चाहते हैं। असा नहीं होना चाहिये। गांधीजीने असा कभी नहीं किया। अुन्होंने अपने वचनकी प्रतिष्ठा हासिल की। अैसी सिद्धि हमें हासिल करनी चाहिये। आज तो सत्ताके लिये सेवा चल रही है। गांधीजीने तो केवल सेवाके लिये ही अनेक संस्थाओं चलायीं, और अनेक गैर-कांग्रेसियोंको भी अुनमें शरीक कर लिया।

सोशलिस्ट मित्रोंने फिर अपना बुनियादी सवाल पूछा :

"शोषण रोकनेके लिये सर्वोदय समाज क्या करता है ?"

"सर्वोदय समाजके अुद्देश्य और नियम आपने पढ़े हैं ?" विनोबाने अुनसे ही पूछा।

"नहीं।"

"तो पहिले आपको वे पढ़ लेने चाहिये। हमारा अेक समग्र परिपूर्ण कार्यक्रम है। और फिर आजकल तो गत चार रोजसे सर्वोदय संमेलनकी कारंवाअी यहीं चल रही है। उसमें कितनी ही बातोंका खुलासा रोज होता रहता है। आप लोगोंसे मेरी शिकायत ही यह है कि आप हमारा साहित्य नहीं पढ़ते। बिना हमारा साहित्य पढ़े आपके सवाल पूछनेका क्या महत्त्व है ?" अेक क्षण रुककर फिर सोशलिस्टोंके संबंधमें अपना अनुभव बताते अुजे विनोबाने कहा : "मैं देख रहा हूँ कि आपके यहां भी नौजवान आजाद नहीं हैं। ज्ञानसंपादनके लिये स्वतंत्रता चाहिये। परंतु जहां पार्टीके साथ नाता बंध जाता है, दिमागी गुलामी शुरू हो जाती है। पार्टीवाले तरुणोंके दिमागोंको अपने ही विचारोंसे भर देते हैं। अेक ही ढांचेमें सबको ढालना चाहते हैं।"

बातचीत बहुत ही आत्मीयता और अनौपचारिक ढंगसे चल रही थी। अुन मित्रोंको लग रहा था कि हम किसी अपने ही आदमीके साथ वार्तालाप कर रहे हैं। सभी नौजवान थे, और सहृदय तो थे ही। नौजवानोंने हमेशा ही विनोबा पर अपना हक जताया है और विनोबाने भी अुनके साथ अधिकसे अधिक अेकरूपताका अनुभव किया है।

अुन मित्रोंने पुनः निःसंकोच होकर कहा :

"हमें तो डर है कि सर्वोदय समाजमें भी कांग्रेसका ही बहुमत है।"

"जिससे क्या होता है ? सर्वोदय समाजमें निर्णय कोअी मेजॉरिटीसे तो होते नहीं ?"—विनोबाने समझाया। सर्वोदय समाजकी कार्यप्रणाली आदिके बारेमें भी बातें हुईं। जिस संबंधमें सत्य और अहिंसाका जिक्र आना स्वाभाविक था। तब विनोबाने कहा :

"बुनियादी चीज यह है कि क्या आप लोग सत्य और अहिंसाको बेसिक (बुनियादी) सिद्धांतके तौर पर मानते हैं ? लेकिन आप लोग बुनियादी असूलोंके रूपमें सत्य और अहिंसाको स्वीकारनेके लिये तैयार नहीं हैं। अगर सत्य और अहिंसाको मान लें, तो हमारे यहां तो हिन्दू सभावाले भी आ सकते हैं। पर वे नहीं आते, क्योंकि वे अहिंसामें नहीं मानते।"

"मतभेद अहिंसाके बारेमें ही है। सत्यके बारेमें कोअी मतभेद नहीं है।"

“यह सही नहीं है। मान लीजिये कि मैं लड़ाईके लिये सेना तैयार करता हूँ। तब मैं अपनी सारी योजनायें तो दुश्मनको नहीं बताता। बल्कि हमला करनेका खिरादा रखते हुए भी बताया यह जायगा कि हम हमला करना नहीं चाहते। नहीं करेंगे। तब सत्य कहाँ रहा? और फिर यह कहना कि मतभेद सत्यके बारेमें नहीं, केवल अहिंसाके बारेमें है, कहाँ तक ठीक है? असल बात यह है कि भक्त जिस प्रकार परमेश्वरको ही अपना आखिरी सहारा मानता है, उसी तरह आप लोग अपना आखिरी सहारा हिंसाको मानते हैं, अहिंसाको नहीं।”

अससे अिनकार करनेका सवाल ही नहीं था। अपने पॉलिसी-स्टेटमेंट (नीति-निवेदन) के बारेमें* श्री जयप्रकाशजीने मद्रासमें कहा ही था:

“The policy statement has catagorically stated that *under present conditions* in India Democratic methods are the only methods to follow. It states that if *conditions change our methods will also change!*”

“नीति-निवेदनमें साफ कहा गया है कि हिन्दुस्तानकी मौजूदा परिस्थितिमें सिर्फ जनतंत्रशाही तरीकों पर ही चल सकते हैं। उसमें कहा ही है कि यदि परिस्थिति बदल जाय तो हमारे तरीके भी बदल जायेंगे।” (मोटे अक्षर हमारी ओरसे)

जाहिर है कि समाजवादियोंके लिये डेमोक्रेटिक मेथड्स (जनतंत्रशाही तरीके) परिस्थितिसापेक्ष हैं और सत्य-अहिंसामें निरपेक्ष निष्ठा रखनेवालेके लिये परिस्थिति सापेक्षताका सवाल ही नहीं खड़ा होता। संभव है विनोबाजीका अिशारा जयप्रकाशजीके अपरोक्त कथनकी ओर ही हो। लेकिन चर्चाने युवक मित्रोंको सोचनेके लिये काफी मसाला दे दिया था और संभव हुआ तो यात्रामें फिर कभी मिलनेकी बात भी अुन्होंने की। अंतमें चुनावमें शुद्धता रखनेके संबंधमें मार्गदर्शनकी दृष्टिसे अेक और प्रश्न अुन्होंने पूछा, जिसके अुत्तरमें विनोबाने कहा:

“चुनावके संबंधमें लोगोंको आवश्यक ट्रेनिंग मिलनी चाहिये। हर पार्टीको चाहिये कि चुनावके पावित्र्यकी चिन्ता समान रूपसे रखे। ‘हार जायें तो परवाह नहीं, पर पावित्र्य कायम रखेंगे।’ — अिस भावनासे चुनावमें हिस्सा लेना चाहिये। अिंग्लैण्डकी जनता चुनावके संबंधमें कितनी सुशिक्षित है, यह अिस अेक बातसे पता चलता है कि अितनी बड़ी लड़ाईमें जीत मिला देनेवाले अपने युद्ध-नेता चर्चिलको भी असने युद्धोत्तर कालकी जिम्मेदारियोंके लिये चुनना ठीक नहीं समझा — नहीं चुना। अिसमें शक नहीं कि जहाँ तक लड़ाईका संबंध है, चर्चिलको वे लोग नहीं भूल सकेंगे। परंतु अुन्होंने जब देखा कि अब चर्चिलसे काम नहीं चलेगा, तो अंटलीको चुन लिया।”

दा० मू०

कोढ़-कामकी तालीम

महारोगी सेवा मंडल, दत्तपुर (पो० नालवाड़ी, वर्धा) के मंत्री ता० १८-८-५१ के ‘हरिजन’ में छपी अपनी “कोढ़-कामकी तालीम” नामक विज्ञप्तिके साथ जोड़नेके लिये नीचेकी चीज भेजते हैं:

तालीम २ अक्टूबर, १९५१ गांधी जयन्तीके दिनसे शुरू होगी। अुम्मीदवारोंकी अर्जियां १५-९-५१ से पहले मंत्रीके पास पहुंच जानी चाहियें। अिन्टर आर्ट्स पास किये हुए अुम्मीदवारोंकी अर्जियों पर भी विचार किया जायगा। (पहली विज्ञप्तिमें अिन्टर सायन्सका ही जिक्र हुआ था।)

(अंग्रेजीसे)

* मद्रास अधिवेशन रिपोर्ट, पृ० ४

‘अधिक अन्न नष्ट करो’ आन्दोलन!

आहार-विज्ञानका कोअी भी अीमानदार जानकार यह स्वीकार करेगा कि बिस्किट और मिठावियोंकी फैक्टरीमें जाकर अनाज जब वहांसे निकलता है, तो उसके पोषक तत्व नष्ट हो चुके होते हैं और असुका मूल्य बढ़ जाता है। तब बह जनताके अुपयोगिका स्वास्थ्यप्रद और पोषक आहार नहीं रह जाता, बल्कि अपूरी या मध्यम वर्गके लोगोंकी रचिको लुभावना लगनेवाला हानिकर शौकका खाद्य बन जाता है। यह बात अितनी साफ है कि कोअी भी व्यक्ति, जो अिस प्रश्न पर विचार करेगा, अससे अिनकार नहीं कर सकता। अब जरा अिस विज्ञापनका मुलाहिजा कीजिये:

“पूर्वकी सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा आधुनिक बिस्किट-फैक्टरी चालू हो गयी! भारतकी औद्योगिक प्रगतिमें अेक बड़ा कदम! पूर्वकी दुनियामें कोअी दूसरी फैक्टरी अुत्पादनकी क्षमतामें अिसका मुकाबला नहीं कर सकती! प्रति दिन ३० टन बिस्किट और ६० टन मिठावियां! अेक भव्य प्रयास!” (हिन्दुस्तान टाइम्स, १८ जुलाअी, १९५१)

प्रतिदिन ३० टन बिस्किट और ६० टन मिठावियां! अिसमें अनाज और शक्करका खर्च कितना होगा, यह सोचिये। और याद रखिय कि अितना खर्च तो केवल अिस अेक फैक्टरीमें होगा, जब कि अैसी कितनी ही दूसरी फैक्टरियां भी हैं।

समर्थ पाठक अगर मुझे यह बता सकें कि भारतमें बिस्किट, मिठावियां, या नाश्तेकी तरह काममें आनेवाली अन्नकी दूसरी चीजें तैयार करनेवाली अिन सारी फैक्टरियोंमें अनाज और शक्करका कुल खर्च कितना होता है, तो मैं अुनका बड़ा अहसान मानूंगी।

यह साफ समझ लेना चाहिये कि ये चीजें अैसी नहीं हैं, जिन्हें लोग भूख बुझानेके लिये भोजनके समय खाते हैं। अुनका अुपयोग तो भोजनोंके बीचमें हलके नाश्तेकी तरह और जीभके स्वादके लिये होता है। अिस तरह भूखोंका, अुनकी भूख शांत करनेवाला मूल्यवान अन्न स्वादलोलुपोंके सुखके लिये कृत्रिम मिठावियों पर खर्च होता है।

मैं किसी खास कारखाना खोलनेवालेको दोष नहीं देती। अिन मित्रोंको बचपनसे यही सिखाया गया है कि ‘घनान्यर्जयध्वम्’, घनान्यर्जयध्वम् — घन कमाओ, घन कमाओ! अिसके सिवा अुन्हें अैसे लोगोंका सम्पर्क भी नहीं मिलता, जो अुन्हें बतायें कि वे राष्ट्रके स्वास्थ्यके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अिसलिये अगर वे यह सोचते हैं कि मिठावियां बनानेके कारखाने खड़े करना अपनी तिजोरियां भरने और साथ ही देशकी सेवा करनेका अुत्तम अुपाय है, तो स्वाभाविक है। लेकिन मैं अस सरकारको जरूर दोष देती हूँ, जो अैसे अुद्योगोंको प्रोत्साहन देती है और अैसे अुद्घाटन-समारोहोंकी शोभा-वृद्धिके लिये अपने मंत्रियोंको भी भेजती है। आजकल सरकार दो शब्दप्रयोगोंका बहुत ज्यादा आश्रय लेती है: ‘गांधीवादी आदर्श’, और ‘युद्धकालीन तौर पर’। अैसी कृत्रिम मिठावियां बनानेमें होनेवाले अनाज और शक्करके अिस बेहिसाब खर्चमें तो अिन दो में से किसी अेककी भी दुहाअी नहीं दी जा सकती।

सरकारके ‘अधिक अन्न अुपजाओ’ आन्दोलनमें कहीं भी ‘गांधी विचारधारा’ का स्पर्श नहीं है। अिसे सिद्ध करनेके लिये किसी दलीलकी जरूरत नहीं, वह तो प्रत्यक्ष बात है। मुझे लगता है कि यह भी अुतना ही प्रत्यक्ष है कि असमें ‘युद्धकालीन तौर पर’ काम करनेकी बात भी नहीं है। प्रमाणकी जरूरत हो ही, तो अपूरका अुदाहरण करीबन अन्धेको भी दिख जाय अैसा है।

पिलखी, २४-७-५१

(अंग्रेजीसे)

मीरा

हरिजनसेवक

१ सितम्बर

१९५१

हैदराबादका जमीनका सवाल

इसमें विनोबा पत्रव्यवहार ('हरिजनसेवक', १८ अगस्त, '५१) में पाठकोंने देखा होगा कि जमीनके बंटवारेकी चेहरेद विषमता हमारे देशकी एक कठिन समस्या है। पत्रव्यवहार सिर्फ तेलंगानाकी ही परिस्थितियों तक सीमित है, लेकिन यह समस्या किसी एक स्थानकी नहीं है। वह एक भारत-व्यापी समस्या तो है ही, शायद दुनियाकी भी है। जिस विशाल भूमाता पर कुछ अग्ने-गिने व्यक्तियों, या छोटी-छोटी जनसंख्यावाले कुछ देशोंका ही अधिकार रहे, और करोड़ों आदिमियोंके पास एक अंच जमीन भी न हो, यह एक असी परिस्थिति है जिस पर गरीबोंका हर एक हित-चिन्तक दुःखी हुये बिना नहीं रह सकता। हम मानते हैं कि जिस प्रश्न और अन्यायको दूर करनेके लिये हिंसक अपायोंका अमल अनुचित है, व्यर्थ है और अन्तमें गरीबोंका अहित करनेवाला है। लेकिन यह तो हर एकको मानना ही पड़ेगा कि अन्याय वास्तविक है और उसका निवारण होना चाहिये।

जिस दिशामें दो कदम अठाये गये हैं: जमींदारी प्रथाका अन्त और एक आदिमीके पास अधिकसे अधिक जमीन कितनी हो, जिसकी मर्यादा। लेकिन जिस सिलसिलेमें, संविधानमें स्वीकृत भरपायी (compensation)के मूलसे जमीनकी व्यवस्थाके सुधारमें बड़ी रुकावट हो गयी है। वस्तुतः जमीनकी मालिकी तथा दूसरी पक्षियोंकी मालिकीमें कोबी फर्क नहीं होता चाहिये। अगर दूसरी पक्षी और आक पर मृत्यु-कर या बढ़ता हुआ आय-कर लगाकर उसे कम किया जा सकता है, तो कोबी कारण नहीं है कि जमीनकी मालिकीके बारेमें भी ऐसा ही क्यों नहीं किया जा सकता। जिस विषयकी अलोचना करते हुये समाजवादियोंने कहा है कि "जिसके कारण जमींदारीके अन्तका व्यवहारमें लगभग कोबी अर्थ ही नहीं रह गया है। अर्थकी दृष्टिसे देखें तो भरपायीका काम हमारे लिये विघ्नकारक है। न्यायके अनुसार भी जमींदारोंको जिन बड़ी-बड़ी अनुपाजित व्ययोंका, जिन पर उनका स्वामित्व बहुत संदिग्ध है, कोबी अधिकार नहीं है।" यह आलोचना बहुत अचित मालूम होती है। और जिसलिये उनका यह प्रस्ताव भी सही मालूम होता है कि "भरपायीकी कोबी जरूरत नहीं है, सिर्फ छोटे-छोटे जमींदारोंको उनकी जीविकाकी नयी व्यवस्थाके हेतु कुछ सहायता देकर जमींदारी खत्म कर देनी चाहिये।" (समाजवादी पार्टीका प्रोपगण्ड) उसे यह कहकर नहीं टाला जा सकता कि वह एक हिंसक अपाय है।

लेकिन जमींदारीकी समाप्ति और फी व्यक्ति अधिकसे अधिक जमीनकी मर्यादा बांधनेसे भी पूरा सवाल नहीं सुलझता। जिससे सिर्फ अन्हीं किसानोंको कुछ राहत मिलती है, जो अभी-अभी तक जमीन पूरी मालिकीसे कुछ कम हैसियतमें जीतते रहे हैं। जिन सुधारोंसे अने लाखों लोगोंकी कोबी राहत नहीं मिलती, जो बंजर जमीन खेतियोंकी असहाय अवस्थासे अठकर निजी जमीन रखने-वाले किसान बनना चाहते हैं। उन लोगोंको तो जमीन सभी मिल सकती है, जब कि सरकार अन्हीं नयी जमीन दे, या जिनके पास ज्यादा जमीन है, उनसे जमीनका कुछ हिस्सा जिन लोगोंमें बाँटनेके लिये हासिल करे। दूसरे अपायका अमल करनेमें भरपायीकी बातसे कितनी बड़ी रुकावट पैदा होती है कि उसे

हल करना बहुत कठिन है। जिसीलिये साम्यवादियोंका हिंसक क्रांति करने और बलपूर्वक जमीन छीन लेनेका सिद्धान्त और कार्यक्रम पैदा हुआ है। विनोबाने अपनी यात्रामें एक तीसरा मार्ग बताया। अन्हींने मनुष्यकी नीति और धर्मकी भावनाओंका आह्वान किया, और उनसे जमीन-दान करनेके लिये कहा। विनोबाका यह निवेदन बहुत दूर तक सफल हुआ, और उससे यह सिद्ध हुआ कि जिस जड़वादके युगमें भी मनुष्यकी मनुष्यता विलकुल नष्ट नहीं हो गयी है। वह आदार बन सकता है। 'भरपायी' करना या 'बलपूर्वक छीनना' सिर्फ यही दो अपाय रह गये हैं, असी बात नहीं है। जिस प्रसंगमें जिस विषय पर एक हैदराबादी मित्रके नाम लिखी हुयी विनोबाकी चिट्ठीके कुछ अंश यहां अद्वैत किये जा रहे हैं। पाठक अन्हीं ध्यानसे पढ़ें :

"मेरा निरीक्षण मने कभी दृष्टियोंसे किया है। सरकार, पुलिस, जमींदार, रंगत, आम जनता, कम्युनिस्ट और कांग्रेसवाले सबकी क्रियाओं और प्रतिक्रियाओंको बारीकीसे देखनेका मौका मुझे मिला। सबके सेवक और सबके अवरोधी हित चाहने-वालेकी हैसियतसे मने सबके सम्बन्धमें आनेकी कोशिश की।

"मैं जिस कम्युनिस्ट सवालको न सिर्फ हैदराबाद स्टेट या भारतका, बल्कि दुनियाका सवाल समझता हूँ। केवल हैदराबादका अगर यह सवाल होता, तो वह एक स्थूल और व्यावहारिक सवाल ही जाता। लेकिन एक जागतिक सवाल होनेके कारण मेरी निगाहमें वह वैचारिक सवाल था। और मेरे निरीक्षणसे मुझे उसका वैसा ही दर्शन हुआ।

"जिसके हलके लिये हमें क्या-क्या कदम अठाने चाहिये, उनकी तो एक फेहरिस्त होगी। लेकिन उन सबमें जो चीज मुझे सबसे अलग और मूलभूत लगी, वही मैं जिस पत्रमें लिख देता हूँ।

"तेलंगानामें जमीनका मसला गरीबोंके जिन्दा रहनेका मसला है। हर एक गांवकी जानकारीके आंकड़े में लेता था। मुश्किलसे प्रति व्यक्ति एक एकड़ जमीन है। उसका अस्सी प्रतिशत चंद लोगोंके हाथमें है और बाकी सारे भूमिहीन हैं। नाम लेने लायक कोबी ग्रामोद्योग भी नहीं, जो कि अधिकांश लोगोंको कुछ पूरक मजदूरी दे सके। और लोग-बाग सारे सिंदी-ताड़ीके नशमें दुःखको भुलानेका दैनिक कार्यक्रम चला रहे हैं। तिस पर भी उनका दुःख नहीं मिटता है और गैरजिम्मेदार लोग इसीका फायदा अठा रहे हैं। तब मानवताकी नैतिक भावना जाग्रत करनेके लिये भूमिदान-यज्ञकी कल्पना मुझे सूझी। लोगोंका सद्भाव जाग्रत हुआ। उसका जो परिणाम आया और उसको आगे बढ़ानेके लिये जो योजना की गयी, उसकी जनताको जानकारी देनेवाला एक पत्रक मने प्रकाशित कराया है, जिसकी नकल जिस पत्रके साथ जोड़ देता हूँ।

"जिस तरहका भूमिदान-यज्ञ आरम्भ करनेमें मेरी एक अपेक्षा यह भी थी कि जिससे कानून बनानेमें सहूलियत होगी। और कानून भी अकसर जिस तरह कंजूस बनता है वैसा न बने, बल्कि आदार और अच्छा बन सके। मैं जानता हूँ कि महफूज कौलदारका एक कानून हैदराबाद सरकारने बनाया है और अपनी हद तक वह अच्छा भी है। लेकिन उसके साथ एक वैसा भी कानून बनाना चाहिये, जिससे किसी भी व्यक्तिके नाम पर अधिकसे अधिक कितनी जमीन मान्य की जाय, जिसकी भी हद बंध सके। जिसकी बहसमें व्यर्थ समय जाया नहीं करना चाहिये। अगर हम मसलेको हल करना चाहते हैं, तो जिसकी अहमियत फौरन महसूस होनी चाहिये।

“मेरा तो विचार है कि हवा और पानीके मुताबिक हरअक भूमिपुत्रका यानी हरअक मनुष्यका भूमिमाता पर अधिकार होना चाहिये। लेकिन मौजूदा विषम परिस्थितिको सोचते हुअे मैंने इस बातके लिये अपने मनको तैयार कर लिया है कि सौ अकड़ खुशकी या बीस अकड़ तरी की आखिरी हद वारंगल जैसे जिलेके लिये चल सकती है। इस आंकड़े पर मैं अड़ा नहीं रहूंगा, बल्कि सज्जनों और महाजनोके विचारसे इसमें कुछ कमी-बेशी की जा सकेगी।

“लेकिन जैसा कि मैं सुन रहा हूँ, २५० अकड़ खुशकी या ५० अकड़ तरी की बात सोची जा रही है। मुझे कबूल करना चाहिये कि यह बात मुझे हास्यास्पद लगती है। २५० अकड़ खुशकी या ५० अकड़ तरी की सीमा बांधी जाय, तो भी वह मुझे ज्यादा मालूम होती है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस बारेमें अच्छे सर्वमान्य निर्णय पर पहुंच जायं।

“कानून होने पर भी भूमिदान-यज्ञ तो चालू ही रहना चाहिये। गरीबोंके पास बगैर किसी रूकावटके सीधे भूमि पहुंचानेका अउसे बढ़कर क्रांतिकारक और शांतिमय अिलाज कोभी हो ही नहीं सकता। उसके लिये मैं अक सर्वसामान्य अपील निकाल रहा हूँ, जो तैयार होने पर आपके पास भी भिजवाअूंगा। अैसी जो भी जमीनें अभी तक दानमें दी गयी हैं और आगे दी जायंगी, उनकी ठीक काश्त होनेके लिये तकाबी वगैरा जो भी देना पड़े, देना जरूरी होगा।”

इस अुपायका प्रयोग जारी रखनेकी और आगे बढ़ानेकी जरूरत है, ताकि अक अनुकूल वातावरण तैयार हो जाय और सरकार अैसा कानून बना सके, जिससे कि भूमिका हर मालिक, मरपाओकी मांग किये बिना अपनी जमीनका अक हिस्सा बेजमीन लोगोंको बांटनेके लिये सौंप दे। जनमतकी तैयारीके पश्चात् बननेवाले सुधार-कानूनका यह अक सुन्दर अदाहरण होगा।

(अंग्रेजीसे)

कि० घ० मशरूफाला

सर्वोदयी फूलिया

पिछले महीने मैं राजस्थानमें नस्ल सुधारके लिये हरियानेसे सांडके लायक कुछ बछड़े खरीदने गया था। यहांसे तो हम चार आदमी निकले थे, लेकिन १-२ दिनके बाद मैंने तीन साथियोंको वापिस कर दिया। क्योंकि अितने लोगोंका समय और पैसा खर्च करनेकी जरूरत नहीं समझी। इसलिये अकेला ही रोहतक जिलेके देहातोंमें लाला हरदेवसहायजीकी सहायतासे घूमनेके लिये अुनके पास परिचय-पत्र लेकर गया। अक गांवसे दूसरे गांव जाते समय वहांके अगले गांवके लोगोंके नाम, पते वगैरा पूछ लेता और अुनकी मददसे वहां बछड़े देखता था। मैंने देखा कि आज भी हरियानाके किसान जितने पशु रखते हैं, अुतने बहुत अच्छी तरह रखते हैं। लेकिन धीरे-धीरे अुनका झुकाव भी भैंसकी तरफ बढ़ता जा रहा है; बाछियों और अच्छे सांड पालनेकी तरफ अुनका अुतना ध्यान नहीं है, जितना होना चाहिये। इसलिये हरियाना नस्ल भी धीरे-धीरे नष्ट हो रही है। आज भी वहां अच्छी गाय और सांडके लिये अुत्तम बछड़ा मिलना कठिन है। अगर यही सिलसिला चलता रहा और सरकार तथा गोसेवकोंने इस तरफ जल्दी ध्यान नहीं दिया, तो हिन्दुस्तानकी अक सुवर्गी अुत्तम नस्लका लोप हो जायगा।

मैं जिस गांवमें जाता, अुस गांवकी स्थितिका थोड़ासा परिचय भी कर लेता। अुस गांवमें हिन्दू-मुस्लिम सम्बन्ध कैसे हैं, हरिजनोके साथ क्या सम्बन्ध हैं, खादी पहननेवाले कितने हैं, वहांकी आर्थिक स्थिति कैसी है, सार्वजनिक कार्योंमें लोग कितना सहयोग देते हैं, अित्यादि मोटी-मोटी बातें जान लेता। वहां अब देहातोंमें मुसलमान ली करीब-करीब रहे ही नहीं।

www.vinoba.in

मैं अक गांवसे दूसरे गांव जा रहा था। रास्तेमें पासके गांवका ही अक भाओी मिल गया, जो अुसी गांव जा रहा था। जब अुस गांवमें प्रवेश किया, तो गांवका गांव अुजड़ा हुआ देखा। सिर्फ २-४ घर हिन्दुओके थे। मैंने अुस भाओीसे पूछा: “यह गांव कैसे अुजड़ गया?” अुसने कहा: “यहां लगभग ३०० घर मुसलमानोंके थे। वे सब हिन्दू-मुस्लिम झगड़ेमें भाग गये। सब बड़े अच्छे लोग थे और हमारा आपसमें बड़ा अच्छा सम्बन्ध था। वे बड़े अुदार और सेवाभावी थे। रात बिरातमें कोओी भी मुसाफिर आ जाता, चाहे हिन्दू हो या मुसलमान, तो अुसकी बड़ी सेवा करते थे। हिन्दू अतिथियोंके लिये तो अुन्होंने खास व्यवस्था रखी थी। मैं जब इस गांवमें आता था, तो जिस गलीसे निकलता, अुस गलीसे चारों तरफसे आवाज आती: “पण्डितजी सलाम! पण्डितजी सलाम! आजिये, बैठिये।” और मेरा हृदय प्रेमसे भर आता। आज मुझे अिन गलियोंको देखकर भारी वेदना होती है।” सचमुच ही अुस अुजड़े हुअे गांवका दृश्य देखकर पत्थर-हृदय भी रोये बिना नहीं रह सकता। अैसी दुर्देवी घटनायें न मालूम हिन्दुस्तान और पाकिस्तानमें कितनी घटी होंगी? और कितने ही बेगुनाह लोग बेघरबार और हमेशाके लिये अक दूसरेसे अलग हो गये। अैसे भयानक मौके पर भी जो लोग अपने धैर्यको कायम रख सके वे धन्य हैं। कितने ही तूफान आये, लेकिन हिन्दू-मुसलमानोंमें अनेक अैसे भाओी बेलाग पड़े हैं, जो अैसी बुरी परिस्थितियोंमें भी अक-दूसरेकी वफादारी रख सके हैं। और अुनको भले कोओी भी न जाने, लेकिन अुनकी निष्ठा भारी सेवा कर रही है। अैसा ही अक आत्मनिष्ठ सेवक मुझे इस प्रवासमें मिला, जिसके परिचयसे मुझे भारी आनंद हुआ। ‘हरिजनसेवक’ के पाठकोंको अुस आनंदमें शरीक करने तथा अुस भाओीका परिचय करानेके लोभसे यह प्रसंग लिखे बिना नहीं रहा जाता है।

हरियानेमें जहां प्रसिद्ध बेलोंका मेला लगता है, अुस जहाअु गढ़के पासमें ही अक मारोथ गांव है। पहिले गांवसे अक भाओीका नाम पूछकर मैं मारोथ पहुंचा। अैसी बात नहीं है कि मैं कांग्रेसवालों या खादीवालोंके पास ही जाया करता था, लेकिन अकसर यही होता था। जिस भाओीके पास गया, वे कांग्रेसके कार्यकर्ता थे। पहिले तो मैंने अुनसे बछड़े वगैराकी बात की और गांवमें घूमकर बछड़े देखे। फिर मैंने अुनसे पूछा: “अिस गांवमें कितने खादीधारी हैं?” अुन्होंने कहा: “तीन।” और भी गांवकी स्थिति पर चर्चा होती रही। जब मैं भोजन करनेके लिये अुनके घर जा रहा था, तो रास्तेमें अक मकान पर चुनावीका काम चल रहा था। अुस पर जो राज काम कर रहा था, अुससे साथवाले भाओीने मेरा परिचय कराया। मुझसे कहा: “हमारे तीन खादीधारियोंमें से अक यह है।” अिस बातमें मैंने कोओी विशेष दिलचस्पी नहीं ली। जान लिया और अुनके घर भोजन करने चला गया। जब मैं भोजन करके लौटा और अुस भाओीकी भी चुनावीके कामसे छुट्टी हुअी, तो वह मेरे पास आया। तीसरा भाओी भी आ गया था। तीनोंके साथ थोड़ी चर्चा हुअी। अिन भाओीके यहां मैं ठहरा था, अुन्होंने मुझे अुस भाओीके, जो मकान चुन रहा था, जीवनके बारेमें विस्तृत जानकारी कराओी। अुन्होंने कहा: “अिसका नाम फूलिया है। जातिका कुम्हार है। लेकिन दूसरे भी कओी काम जानता है। खादीका बड़ा निष्ठावान भक्त है। अिसके घरमें सब खादी पहनते हैं। अखबार भी मंगाता है।” अब तककी चर्चामें भी फूलियाकी ओर मेरा कोओी विशेष आकर्षण नहीं हुआ था। मैंने पूछा: “कौनसा अखबार मंगाता है?” मैंने समझा था कि कोओी साधारण समाचारपत्र मंगाता होगा। फूलियाने कहा: “‘हरिजनसेवक’ मंगाता हूँ।” मैं अकदम चौंका। क्योंकि वहां पर कोओी ‘हरिजनसेवक’ पढ़नेवाला आदमी होगा,

अैसी मेरे मनमें कल्पना भी नहीं थी। फूलिया बोलमे लगा : "आजकल तो विनोबाजीकी हैदराबादकी पैदल-यात्राका बड़ा सुन्दर वर्णन आता है।" तब मेरी अिच्छा सहज ही फूलियाके जीवनमें गहरा अुतरनेकी हुअी। मैंने पूछा : "तुम नियमसे 'हरिजनसेवक' पढ़ते हो?" अुसने कहा : "मैं खुद तो नहीं पढ़ सकता हूं, लेकिन अपने लड़केसे पढ़ाकर सुनता हूं। क्योंकि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं।" यह सुनकर मुझे आनंद और आश्चर्य हुआ और लगा कि यह कोअी विशेष आदमी होना चाहिये, जो खुद न पढ़ सकने पर भी सुननेके लिये 'हरिजनसेवक' मंगाता है। अुसने आगे कहा : "वैसे मैंने पढ़नेकी कोशिश तो की, थोड़ासा पढ़ भी लेता हूं, लेकिन पढ़ते समय मेरी आंखोंसे पानी निकलने लगता है। जिसलिये पढ़ाअीका काम बहुत आगे नहीं बढ़ सका। हां, मजदूरीके काममें मैं कभी थकता नहीं हूं। वैसे तो मैं कुम्हार हूं। लेकिन राज (चुनाअी)का काम भी कर लेता हूं। बुनाअी कर लेता हूं, कताअी-धुनाअी सब जानता हूं और खेतीका काम भी करता हूं। पहले संवत् १५ व १७ में जब बड़े दुकाल पड़े थे, तब मैंने दो-तीन आदमियोंको साझी करके अेक छोटसा चरस बनाकर बैलकी जगह आदमियोंसे पानी खींचकर और जमीन खोदकर खेती की थी। जिसमें अेक बार ५० और अेक बार ५५ मन जो हुअे थे। अुससे हमारा दुष्काल कट गया था। जब दूसरा काम नहीं होता है, तब मैं बैठकर बुनाअी करता हूं। बच्चों और पत्नीको कातना और धुनना सिखा दिया है। मैंने निश्चय किया है कि मेरे घरमें मिलका अेक घागा भी नहीं घुस सकता। दूधके लिये मैं गाय रखता हूं। मरते समय अपने बच्चोंको भी यह कहकर जाअूंगा कि घरमें मिलका कपड़ा और भैंसका प्रवेश न हो। बरतन भी मैं मनुष्यके जीवनोपयोगी ही बनाता हूं। मिट्टीके हुक्के, चिलमें, दावतमें काम आनेवाले सिकोरे मैं नहीं बनाता। क्योंकि अिन बरतनोंको मैं हानिकर और अनावश्यक मानता हूं। जिससे गांवके लोग मुझसे नाराज भी हैं। मेरी जो कुम्हारी वृत्ति थी, वह जिसीलिये टूट गअी। पानी पीनेके मटके, दूध निकालने, जमाने, चलानेके बरतन, सागकी हांडी, अनाज रखनेके बरतन, जानवरोंको दाना देने और पानी पिलानेकी नादें — अैसे मनुष्य और पशुजीवनके अपयोगी बरतन ही बनाता हूं।"

"मैंने दो दफे दिल्ली जाकर महात्माजीका भाषण सुना था। अुसमें अुन्होंने बताया था कि गायकी रक्षासे ही भैंसकी रक्षा हो सकती है। दूसरी बात अुन्होंने कही थी कि अपने बीचमें रहे थोड़े मुसलमानोंको मार निकालनेमें बहादुरी नहीं, कायरता है। मुझे अुनकी दोनों बातें पसन्द आअीं। जब यहां पंजाबमें हिन्दू-मुस्लिम झगड़ेका पागलपन सवार हुआ, तो करीब-करीब सब लोग विवेक खो बैठे थे। अुन दिनों गांव-गांवमें हिन्दू-मुस्लिम झगड़ेका भारी तूफान चल रहा था। अुसकी आंधी अेक रोज यहां भी आअी। अुसके नेताने, जो मेरे आर्यसमाजी दीक्षागृह थे, जो जिस अिलाकेमें अेक बड़े विद्वान्, त्यागी तथा अेक विद्यालयके आचार्य हैं, जिनके प्रति मेरी बहुत श्रद्धा अेवं भक्ति थी, कहा : 'फूलिया, चल खड़ा हो। हमारे साथ चल।' अुनके हाथमें बन्दूक देखकर मेरा दिल कांप अुठा। मैंने कहा : 'महाराज, मेरेसे मनुष्य मारनेका काम नहीं होगा। जिसको मैं धर्म नहीं अधर्म मानता हूं। गांधीजीने कहा है कि अपने बीच रहे थोड़े आदमियों पर हाथ अुठाना कायरता है। अगर आपको मुसलमानोंसे लड़ना ही है, तो पाकिस्तानमें जाकर लड़िये।' वे और दूसरे लोग मेरे अूपर क्रुद्ध हो अुठे और बोले : 'अच्छा मुसलमानोंके साथ-साथ तुझे भी हम मौतके घाट अुतारेंगे।' मैंने कहा : 'मेरे धरम सात प्राणी हैं। हम पति-पत्नी, तीन बच्चे, अेक गाय और अुसका

बच्चा। आप हम सातोंको ही अेक साथ मौतके घाट अुतार देंगे तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन मैं मनुष्य मारनेके काममें हिस्सा हरगिज नहीं लूंगा।' वे तो बौखलाये और 'अच्छा तुझे बादमें देखेंगे', कह कर चले गये। अुसी झगड़में गुरुकुलका अेक विद्यार्थी मुसलमानकी गोलीसे मारा गया। अुसका दाहसंस्कार करनेके लिये प्रत्येक घरसे पावभर धी और अेक रुपया अुगानेकी बात आअी। मुझसे भी मांगा गया। मैंने साफ अिनकार कर दिया। क्योंकि वह तो दूसरोंको मारनेके लिये गया था। पर दूसरेने अुसको मार दिया। अैसे काममें मैं हिस्सा नहीं ले सकता। जिसके लिये भी लोगोंने मेरे अूपर खूब भाले दिखाये। लेकिन मैंने तो निश्चय कर लिया था कि चाहे प्राण चले जायें, लेकिन जिस काममें हिस्सा नहीं लूंगा।"

"धरी न काहू धीर सबके मन मत्सर हरे। जे रासे रघुबीर ते अुबरे तेहि काल महुं।" सचमुच ही अुस आपसके मत्सरमें अच्छे-अच्छे लोग फंस गये। अुस बुरे समयमें जिनको भगवानने बचाया, वे ही बच सके। नहीं तो कहां गधा चरानेवाला फूलिया और कहां वेदोंका ज्ञाता और अुच्च कोटिका त्यागी हिंसाके लिये अुभाड़नेवाला फूलियाका गुरु? दैवयोगसे अुनसे मेरी मुलाकात फूलियासे मिलनेसे पहिले ही हो चुकी थी और अुनके अुस रूपकी थोड़ीसी ज्ञांकी मुझे भी मिल चुकी थी। जिसलिये फूलियाकी बात पर अपने आप मोहर लग गअी। अच्छे गुणोंका ठेका विद्वत्ताका तो नहीं है, लेकिन बड़े-बड़े त्यागी भी अूपरसे साधारण दीखनेवाले आदमीके मुकाबलेमें फिसड्डी ही साबित होते हैं। फूलिया और फूलियाके आचार्य गुरुका यह ज्वलंत अुदाहरण है।

फूलियाने आगे कहा : "मैं ६ बरसका था। अेक मेरी बड़ी बहिन थी। तब संवत् ७५ की बीमारीमें मेरे माता-पिता मर गये थे। अुस समय मैं गधे चरानेका काम करता था और अपने काकाके पास रहता था। काकाने मेरे साथ बहुत अच्छा सलूक नहीं किया। जिसलिये मैं दूसरी मजदूरी करने लगा। मजदूरी करके पहिले तो मैंने बहिनकी शादी की, फिर अपनी की। फिर धीरे-धीरे घर बनाया। मेरी बड़ी बहिनके अेक लड़का है। वह अुसकी शादी करना चाहती थी। बहिनने मुझे खबर दी कि लड़केकी शादी है और तुमको अुसमें आना पड़ेगा। मैंने कहा : 'अभी लड़केकी अुमर तेरह सालकी है। और अठारह सालसे पहिले शादी करना नियम-विरुद्ध है। फिर शादीमें किसी प्रकारका जेवर या दूसरा किसी प्रकारका खर्चा नहीं होना चाहिये। बरातमें पांच आदमीसे अधिक नहीं जाने चाहियें। जब तेरा लड़का अठारह सालका हो जायगा, तो अुसकी शादी करनेकी जवाबदारी मैं लेता हूं। और मैं अपनी मान्यताके अंनुसार ही कलंगा। लेकिन आज अुसकी शादीमें हिस्सा नहीं ले सकता।' मेरी बहिनका आग्रह तभी शादी करनेका था। मैं अुसके लड़केकी शादीमें हिस्सा न लूं, यह भी अुसके लिये भारी दुःखकी बात थी। मेरे लिये भी भारी धर्मसंकट था। लेकिन मैं तो निश्चय कर चुका था कि अपने सिद्धान्तके विरुद्ध नहीं जाअूंगा। बहिन भी अुसके शादी करनेके मोहको नहीं छोड़ सकी। जिसलिये मैंने अुस लड़केकी शादीमें हिस्सा नहीं लिया।"

जिस चर्चासे मुझे फूलियाका घर देखनेकी अिच्छा हुअी। मैं फूलियाके घर गया। फूलियाके घरमें चौर कमरे हैं। मैंने देखा, पहिले कमरेमें अुसका सब बुनाअीका सामान था। दूसरेमें मिट्टीके बरतनोंका संग्रह था। तीसरेमें गायके लिये भूसा था और चौथेमें, जो दूसरी मंजिल पर था, कताअी-पिजाअीका चरखा, धुनकी आदि सामान था। बीचमें मकानके सामने अेक छाया हुआ चौक-सा था, जिसमें अुसका सारा कताअी, बुनाअी व बरतन बनानेका काम चलता था। अुसीमें अुसका बरतन बनानेका चाक, मिट्टी

कमानेका स्थान, चूल्हा, चक्की, बुनाजीकी माग लगी हुयी थी जिस पर गाड़ीका पाल बुनाजीके लिये चढ़ा हुआ था। मैंने फूलियाके घरमें न तों रहनेका कोअी खास कमरा देखा, न कपड़े-लत्तोंकी कोअी पेंटी देखी और न खाने-पीनेके सामानका ही संग्रह देखा। मैंने आश्चर्यसे पूछा: “भाअी, आखिर तुम्हारा खाने-पीने, सोने-ओढ़नेका सामान कहां है?” तब फूलियाने मुझे दीवारमें बनी हुयी अक छोटीसी बुखारी दिखायी, जिसमें करीब-करीब डेढ़ मन जौ-चने पड़े थे। और अुसके ओढ़ने-बिछानेके कपड़े तो अुसी चौकमें खाटों पर रखे थे। फूलियाने कहा: “मजदूरी करता हूं और थोड़ासा अनाज ले आता हूं, जो अिसमें रख लेता हूं। कपड़के लिये हम कात लेते हैं और बुन में लेता हूं।” फूलियाकी पत्नी अक मोटा खादीका थान कुछ सीनेके लिये नाप रही थी। वह फूलियाके सारे घरका दृश्य देखकर अुसको कारखाना कहना, आश्रम कहना, श्रमालय कहना, या सर्वोदयी घर कहना, यह फंसला पाठक करें। मुझे तो फूलियाके सारे परिवारका जीवन सर्वोदयकी प्रत्यक्ष तसवीर दिखायी दिया। मैंने फूलियाकी पत्नीसे बात की: “क्यों बहिन, देखो फूलिया यह क्या खटपट करता है, तुमको और बच्चोंको मोटे-मोटे कपड़े पहिनाता है। तुमको अक भी जेवर पहिननेको नहीं देता। अरे, चूड़ी तक नहीं पहिनने देता है। तो क्या तुम्हें दूसरी बहिनोंके अच्छे-अच्छे कपड़े और गहने देखकर अिच्छा नहीं होती है? या तुम्हारी सादगी देखकर दूसरी बहिनोंको भी तुम्हारे जैसे रहनेकी अिच्छा होती है?” अुस बहिनने सरल भावसे कहा: “मुझे तो किसीकी अिच्छा नहीं होती। लेकिन मुझे देखकर दूसरी औरतोंको क्या लगता होगा, यह मैं नहीं जानती।” अुस बहिनके हाथमें कांचकी चूड़ी तक नहीं थी। क्योंकि फूलिया और अुसकी पत्नीका निश्चय ही है कि जिन वस्तुओंका जीवन-रक्षणमें अपुयोग नहीं है, अुनका अिस्तेमाल नहीं करना।

फूलियाने बताया: “मेरे घरके पासके दस घरोंका पानी मेरे काम करनेके चौकमें से जाता था। यह मुझे पसन्द नहीं था। कायदेसे बरसातका पानी रोका नहीं जा सकता। दूसरी तरफ पानी जा सकता था, लेकिन करीब ४-५ फुट गहरा, १०० फुट लम्बा और २५ फुट चौड़ा अक खड्डा था। अुस खड्डेको भरनेके लिये वे लोग तैयार नहीं थे, जिनके घरोंके सामने वह खड्डा था। मुझे अुनसे झगड़ा नहीं करना था। अिसलिये जब भी हमें समय मिलता, हम दोनों पति-पत्नी अपने गधोंसे अुसमें मिट्टी डालते। तीन सालसे हमारा यह कार्यक्रम चल रहा है। अब यह खड्डा करीब-करीब भर चुका है। अिस साल थोड़ीसी मिट्टी और डालनी है।” मैंने वह जगह देखी। सचमुच ही फूलियाका वह भगीरथ प्रयत्न था। अुसके तीनों बच्चोंसे भी मैंने बातें की। मैंने कहा: “क्यों रे, स्कूलमें दूसरे लड़के अच्छे-अच्छे कपड़े पहिनते हैं। तुम खादी पहिनते हो। क्या तुम्हें कभी मिलके चमकीले कपड़े पहिननेकी अिच्छा नहीं होती है?” सरल भावसे बच्चे बोल अुठे: “कभी नहीं। हमको खादी प्यारी लगती है।” फूलियाके तीनों बच्चे कातना, धुनना जानते हैं और दूसरे काममें भी अपने बापकी मदद करते हैं। तीनों स्थानीय स्कूलमें पढ़ने जाते हैं। वे बड़े ही सुझील और होशियार लड़के हैं।

बहुत दिन पहले अक निर्मोही राजाकी कथा पढ़ी थी कि अुसका सारा परिवार ही निर्मोही था। अिसी प्रकार फूलियाका साराका सारा परिवार ही सर्वोदयी है, यह देखकर आनन्दसे मेरा हृदय भर आया और मैंने फूलियाका श्रेमसे आलिंगन किया। मेरे मुंहसे निकल पड़ा: “फूलिया, तुम धन्य हो, तुम्हारा जीवन धन्य है, तुम्हारा जीवन धन्य है।” फूलिया भी

आनन्दविभोर हो गया और मुझे अक दिन अपने घर रोककर भोजनके लिये आग्रह करने लगा। मैंने कहा: “तुमसे मिलकर, तुम्हारा घर और परिवार देखकर मुझे बहुत आनन्द हुआ है। आगे जब कभी हरियाना आअूंगा, तो अक दिन जरूर तुम्हारे घर ठहरूंगा और भोजन करूंगा। अभी तो मेरा अगले गांवका कार्यक्रम तय हो चुका है।” मेरा दूसरे गांव जानेका समय हो चुका था, अिसलिये फूलियाके साथ और अधिक चर्चा करनेकी अिच्छा रहते हुअे भी मुझे वहांसे चल देना पड़ा।

फूलियाने बताया: “हमको ३ बच्चे हो गये। अब हम पति-पत्नीने मिलकर निश्चय किया है कि आअिदा संयमसे रहेंगे और अब संतान पैदा नहीं करेंगे; और जितना हमसे हो सकेगा हम अिन बच्चोंको योग्य बनानेकी कोशिश करेंगे। मैं कभी बीमार नहीं पड़ता हूं। क्योंकि मैं किसी प्रकारका पाप न करूं तो बीमार क्यों पड़ूं, अैसी मेरी श्रद्धा है। शरीरसे खूब काम करता हूं, फिर भी थकना तो जानता ही नहीं।”

अिस समय फूलियाकी अुमर ३९ साल है। वे दोनों और अुनके बच्चे अच्छे स्वस्थ हैं। अिस तरह परिवारका परिवार अुत्साहसे सर्वोदयके लिये सतत प्रयत्नमें लगा हुआ है। अैसा कोअी दूसरा अुदाहरण मुझे अब तक देखनेको नहीं मिला है। रचनात्मक कार्यक्रमके दूसरे अच्छे-अच्छे कार्यकर्ता और साधक हैं। अुनके पास अच्छे-अच्छे साथी और साधन भी हैं। अपने व्यक्तितगत जीवनमें वे कितना भी सर्वोदयका पालन करते हैं, लेकिन सारा परिवारका परिवार सर्वोदय जीवनमें ओतप्रोत हो, अैसा बहुत कम देखनेमें आता है। फूलिया तो अक दूर देहातमें पड़ा है। न अुसको बहुत बड़ा सत्संग मिलता है, न वह कुछ पढ़ा-लिखा ही है। लेकिन अुसके दिलमें सर्वोदयकी निष्ठा अैसी बैठी है कि अुसके लिये वह सब कुछ निष्ठावर करनेको कटिबद्ध हो गया है। फूलियाका जीवन महाराष्ट्रके संत गौरा कुम्हारकी याद दिलाता है।

दूसरे भाअीने बताया कि हमने फूलियाको कभी खादी पहिननेका खास आग्रह नहीं किया। अुसके मनसे ही यह सब अुत्पन्न हुआ है। फूलियाने कहा: “यहांसे ३-४ कोस पर बागपुर नामक अक ग्राम है। वहां मेरे गुरु रहते हैं। अुनका नाम है श्योचन्द। मेरे घरमें जो कुछ भी सुधार हुआ है, वह अुनकी ही कृपा है। वे सर्व-सेवा-संघके सदस्य हैं और जब सर्वोदयकी सभा होती है, तो वहां जाया करते हैं। मैं अपने ‘हरिजनसेवक’ पढ़कर अुन्हें दे आता हूं।” फूलियाके अिस गुरु श्योचन्दजीसे मेरी अिच्छा होने पर भी मैं मिल नहीं सका। क्योंकि अुनका ग्राम दूर था और मेरा कार्यक्रम दूसरे ग्राम जानेका बन चुका था।

फूलियाने बताया: “मैं कभी किसी विवाह, शादी या भोज आदिमें शरीक नहीं होता। जहां पर पांच आदमीसे अधिकका भोजन और अुसमें कुछ पकवान आदि बनाये जायं, अुसमें हिस्सा नहीं लेता। जात-बिरादरीके और दूसरे लोग मेरे अुपर काफी नाराज हैं और मेरी टीका करते हैं। लेकिन मुझे जो सत्य लगता है, अुस पर अकेला ही चलनेमें मुझे किसीका भय नहीं लगता।” अिस अिलाकेमें चमारोंने मृत जानवरोंको अुठाना व चमड़ा निकालना बन्द कर दिया है। अिसलिये लोगोंको अपने मृत जानवर स्वयं अुठाने पड़ते हैं। लेकिन वे चमड़ा नहीं निकालते, वैसे ही जमीनमें गाड़ देते हैं। अिस पर मैं लोगोंको समझा रहा था कि चमड़ा निकालना कोअी पाप नहीं है। मृत जानवरका चमड़ा न निकालें, तो हमारी बहुत बड़ी सम्पत्ति नष्ट हो जाती है। आखिर तो हमें चमड़ा अिस्तेमाल करना ही पड़ता है। फिर कतल किये जानवरोंका चमड़ा अिस्तेमाल

करनेसे धन और धर्म दोनों जाते हैं। जिस पर फूलियाने बताया कि जब मेरी गाय मरी, तो अंक दूसरे भाभीकी मददसे मैंने तो उसका चमड़ा निकाल लिया था। लोगोंने मेरा विरोध किया। मैंने कहा: "अपनेको चमड़ेकी जरूरत तो रहती ही है, सो अपने पशुओंका चमड़ा जिस तरह पशु गाड़कर बरबाद करना ठीक नहीं है।"

दूसरे सब लोग भी फूलियाके जीवनकी मुक्तकंठसे प्रशंसा करते थे। जैसे ही जहाजगढ़में फूलियाके गुरुभाभी पीरदानजी-अहीरसे मिलकर खूब आनंद हुआ। ये भी बिना पढ़े हैं किन्तु 'हरिजनसेवक' सुनते हैं, और उसमें लिखा हुआ उनके लिये वेद-वाक्य है। जब मैं उनसे सुबह मिला, तो वे पीस रहे थे और शामको मिला तब कात रहे थे। पीरदानजीने बताया कि आजकल मेरा अपने घरसे असहयोग चल रहा है, कारण मेरी पुत्रवधू मिलके कपड़ेका व्यवहार करती है। जिसलिये जब तक वह खादी नहीं पहनती, मैंने उसके हाथका खाना-पीना बन्द कर रखा है। ये भाभी खेती करते हैं तथा दूधके लिये घरमें गाय रखते हैं। सचमुच ही जैसे अनेक गुदड़ीके लाल सर्वोदय जीवनके पीछे पागल हैं। उनको कोअी नहीं जानता, लेकिन अंक दिन उनका प्रकाश तो धीरे-धीरे फैलेगा ही।

सचमुच ही फूलिया मानव-समाजको सुगंधित करनेवाला अंक सर्वोदयी फूल है।

फूलियाका गांव मारोथ, झन्जर तहसील, जिला रोहतकमें जहाजगढ़से चार मील दक्षिणमें है।

गोसेवा आश्रम,
सीकर (राजस्थान)

२४-७-५१

बलवन्तसिंह

टिप्पणियां

अंक विचारप्रेरक पत्रिका

पंडित रामानन्द तिवारी बिहारके अंक भूतपूर्व सिपाही हैं। उन्होंने हिन्दीमें "सिपाहियोंकी कहानी, आंकड़ोंकी जबानी" नामकी अंक पत्रिका लिखी है। उसका प्रकाशन बिहार राज्य पुलिस और जेलमेन्स असोसियेशन, नया टोला, पटना-४ से हुआ है; और कीमत अंक आना है। यद्यपि उसमें सिर्फ बिहारकी ही हालतका वर्णन है, लेकिन वह सारे देशके लिये सही है; और मेरी सिफारिश है कि हमारे प्रत्येक कानून-मंत्री, पुलिसके मुख्याधिकारियों, योजना-कमिशनके सदस्यों, और राजनीतिक कार्यकर्ताओंको उसे पढ़ना चाहिये। पत्रिका बिल्कुल संरल और सीधी शैलीमें लिखी गयी है, लेकिन उससे स्पष्ट हो जाता है कि किस तरह शासनकी रचना ही ऐसी है कि वह सिपाहियोंको भ्रष्ट और बेअमीन बनने तथा लोगोंके साथ बुरी तरह पेश आने और ठगनेके लिये प्रेरित करती है, और मनुष्यकी अपना कर्तव्य करने और लोकसेवा करनेकी सहज प्रवृत्तिको नष्ट कर देती है। उससे यह भी पता चलता है कि अगर शासनमें स्वेच्छापूर्वक बुनियादी फर्क नहीं किया जाता, तो यह परिस्थिति साम्यवादी या क्रांतिकारी आन्दोलन पैदा करनेवाली है और उसमें सेना तथा पुलिसके साधारण श्रेणियोंके आदमी स्थापित सरकारोंको अखाड़ फेंकनेमें शरीक होंगे।
वर्धा, १२-८-५१

(अंग्रेजीसे)

भूदानमें बढ़ती

विनोबाजीकी तेलंगाना यात्राकी पूर्णाहुतिके बाद भूदान-यज्ञ-समितिको ११०० अंकड़से ज्यादा जमीनके दान और मिले हैं। उसमें सबसे अधिक दान ५०० और ४०० अंकड़के हैं।

दा० मू०

सवाल-जवाब

पेस्चुराभिज्ड दूध

सवाल: अहमदाबादमें पेस्चुराभिज्ड दूधका प्रचार दिन ब दिन बढ़ रहा है। शहरकी बहुतसी दुकानोंमें ठंडा किया हुआ दूध बेचा जाता है। अंक किताबमें बापूका अभिप्राय पढ़ा था कि ताजा निकाला दूध ही संपूर्ण सत्ववाला होता है। समय बीतते ही उसमें से सत्व कम होता जाता है। पर आज दोपहरको निकाला हुआ दूध यंत्रसे गरम करके तुरंत यंत्रसे ठंडा कर लेते हैं। वह दूध दूसरे दिन सुबह बिकता है और बादमें काममें लाया जाता है। उसमें से सत्व कितना कम होता होगा?

जवाब: गायके स्तनोंसे निकले हुए दूधको गरम करनेसे कुछ सत्व जरूर कम होता है। परंतु बादमें नीचेकी क्रिया करके रखनेमें कुछ भी ज्यादा सत्व कम नहीं होता।

दूध गायके स्तनोंसे निकलते ही कुछ कुछ बिगड़ना शुरू हो जाता है। इसके लिये जितना जल्दी हो सके उसे गरम कर लेना चाहिये। गरम करनेका अर्थ है कि जो कीटाणु (बैक्टेरिया) बुरा असर डालनेवाले अथवा रोग उत्पन्न करनेवाले दूधमें प्रवेश कर गये हों, वे सब नष्ट हो जायें। दूध गरम करनेका दूसरा प्रयोजन यह भी है कि अंक बार गरम करके ठंडा कर लेने पर और फिर रख छोड़ने पर उसमें अशुद्ध वायु शीघ्र प्रवेश नहीं कर सकती है। दूध तीन प्रकारसे गरम किया जाता है:

पहला यह कि दूधको किसी पात्रमें डालकर आग पर रख दो और जब १८० दर्जेकी (१८० °F) गरमी पर पहुंच जावे, तो उसी दर्जे पर बहुत देर तक रख छोड़ो। इसमें दूधके ऊपर धीरे-धीरे मलाअीकी तह बंधनी शुरू हो जाती है। और ज्यों-ज्यों देर होती जाती है, मलाअी भी मोटी होती जाती है। इससे रोग उत्पन्न करनेवाले कीटाणु दूधमें प्रवेश नहीं कर सकते।

दूसरी रीत: दूधको १८० दर्जेकी गरमी तक गरम करके तुरंत ही अतार कर ठंडा कर लें और व्यवहारमें लाने लें। यह विधि अत्यन्त लाभकारी है। तीसरी विधि दूध गरम करनेकी उस अवस्थामें काममें लायी जाती है, जब किसी कारणसे दूधको कभी दिनों तक रखनेकी आवश्यकता आ पड़े।

दूधको १८० दर्जेकी गरमी तक पहुंचा कर तुरन्त ठंडा कर लिया, फिर गरम किया और उसी तरह ठंडा कर लिया। तीसरी बार गरम करके तुरन्त ही ६० दर्जे तक ठंडा करके रख छोड़ो। परन्तु यह दूध जिस स्थानमें रखा जावे, वहां भी ६० दर्जेसे अधिक गरमी न हो। इस प्रकार औटाया हुआ दूध अंक सप्ताह भलीभांति रह सकता है।

जिस स्थानका टेम्परेचर (गरमी) ६० दर्जेसे कम हो, वहां दूध कभी न बिगड़ेगा। क्योंकि वहां कीटाणुका प्रभाव नहीं होता।

अधिक दूध पैदा करनेवाले केन्द्रोंमें दूध भाफसे गरम किया जाता है। उसके लिये अंक मशीन होती है, जिसे (Pasteurizer) पेस्चुराभिजर कहते हैं। दूध बड़ी शीघ्रतासे ठंडा करनेके लिये भी अंक मशीन होती है, जिसे (Refrigerator) रेफ्रिजरेटर कहते हैं।

गोपुरी, वर्धा

चं० पा०

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ
रिश्वतखोरी	कि० घ० मशरूवाला २३३
शिवरामपल्लीमें विनोबा — १२	दा० मू० २३३
'अधिक अन्न नष्ट करो' आन्दोलन!	मीरा २३५
हैदराबादका जमीनका सवाल	कि० घ० मशरूवाला २३६
सर्वोदयी फूलिया	बलवन्तसिंह २३७
सवाल-जवाब	चं० पा० २४०

टिप्पणियां:

कोढ़-कामकी तालीम	२३५
अंक विचारप्रेरक पत्रिका	कि० घ० म० २४०
भूदानमें बढ़ती	दा० मू० २४०